POLICE DEPARTMENT, KERALA

No. Q2/107862/2020/PHQ
Police Headquarters,
Thiruvananthapuram
Email:phq.pol@kerala.gov.in
Ph:04712721547
Dated: 24 /09/2020

Circular No. 38 /2020/PHQ

Sub: The Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020 - Compliance - instruction reg:-

Ref: Central Government Notification NO. G.S.R 165 (E) dated 9/3/2020 Published in the Gazette of India Extra Ordinary Part II - Section 3 Sub Section (i) dated 9/3/2020

The Copy of the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020 which repealed the POCSO Rules, 2012 is here by circulated for the information of all officers concerned. All officers are directed to strictly comply with the provisions in the new POCSO Rules. Whenever cases under POCSO are reported, an express report shall be sent to PHQ on the date of report itself.Q2 will collect such details, collate and store such data according to the gender. Q2 will compare these data with the Criminal Intelligence Bureau (CIB) of SCRB after every monthly Crime Review meeting. After that the Q2 will furnish a copy of the statement to the designated Nodal Officer immediately

24/09/2020

DGP & State Police Chief
Kerala, Thiruvananthapuram

To: 1. All Officers in List A, B and C (as per Circular 28/2020) for information.
2. All DPCs and all SHOs of all Police Stations.
3. CAs to all Officers in PHQ
4. Police website/Circular book/D Space.

AIG (PG & LA)
PHQ

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032020-218601
CG-DL-E-11032020-218601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2020/फाल्गुन 19, 1941
No. 141] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2020/PHALGUNA 19, 1941

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2020

सा.का.नि. 165(अ)—केंद्रीय सरकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** इन नियमों का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) अभिप्रेत है;

(ख) "जिला बालक संरक्षण एकक" (डीसीपीयू) से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला बालक संरक्षण एकक अभिप्रेत है।

(ग) "विशेषज्ञ" से अभिप्रेत मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, बाल विकास या अन्य सुसंगत विषय में प्रशिक्षित व्यक्ति, जिसकी संप्रेषण क्षमता अभिघात, नि:शक्तता या किसी अन्य भेद्यता से प्रभावित ऐसे बालकों के साथ संप्रेषण को सुकर बनाने की आवश्यकता है।

(घ) "विशेष शिक्षक" से सीखने और संवाद की चुनौतियों, भावनात्मक और व्यावहारिक मुद्दों, शारीरिक नि:शक्तताओं और विकासपरक मुद्दों सहित तरीकों से बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं और आवश्यकताओं का समाधान करके नि:शक्त बालकों से संप्रेषण करने में प्रशिक्षित व्यक्ति अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए नि:शक्तता पद का वही अर्थ होगा जैसा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड(ध) में परिभाषित किया गया है;